कार्यवाही विवरण

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स एस.वी. पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–रेन्की, तहसील–पाली, जिला–कोरबा में प्रस्तावित 2 x 60=120 मेगावाट कोल वाशरी रिजेक्ट्स बेस्ड पावर प्लांट एवं 2 x 2.5 मिलियन टन/वर्ष कोल वाशरी की दिनांक 20.08.2007, दिन–सोमवार, स्थान–तहसील कार्यालय परिसर, कटघोरा, जिला–कोरबा में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण

———————————————————————————————————

भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533(अ), दिनांक 14 सितंबर 2006 के प्रावधानों के तहत् मेसर्स एस.वी. पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–रेन्की, तहसील–पाली, जिला–कोरबा में प्रस्तावित 2 x 60=120 मेगावाट कोल वाशरी रिजेक्ट्स बेस्ड पावर प्लांट एवं 2 x 2.5 मिलियन टन/वर्ष कोल वाशरी स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् अपर कलेक्टर, कोरबा की अध्यक्षता एवं क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा की उपस्थिति में दिनांक 20.08.2007, दिन–सोमवार को तहसील कार्यालय परिसर, कटघोरा, जिला–कोरबा में प्रातः 11.00 बजे लोक सुनवाई प्रारंभ हुई।

सर्वप्रथम **श्री एल.के. किशोर, डायरेक्टर,** मेसर्स एस.वी. पावर प्राईवेट लिमिटेड एवं श्री महिश्वर रेड्डी, सलाहकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना और पर्यावरण समाघात निर्धारण रिपोर्ट (ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट) के संक्षिप्त सार का प्रस्तुतिकरण उपस्थित जन समुदाय के समक्ष करते हुए जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ की गई।

मेसर्स एस.वी. पावर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम–रेन्की, तहसील–पाली, जिला–कोरबा में प्रस्तावित 2 x 60=120 मेगावाट कोल वाशरी रिजेक्ट्स बेस्ड पावर प्लांट एवं 2 x 2.5 मिलियन टन/वर्ष कोल वाशरी स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने बाबत् आयोजित लोक सुनवाई में लोक सुनवाई सूचना प्रकाशन तिथि से

दिनांक 19.08.2007 तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, कोरबा में लिखित में कोई भी चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुईं। दिनांक 20.08.2007 को आयोजित लोक सुनवाई के दौरान लिखित में **04** चिंताएँ/सुझाव/विचार /टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। इस प्रकार लिखित में कुल **04** चिंताएँ/सुझाव/विचार /टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुईं। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान **20** व्यक्तियों के द्वारा मौखिक में चिंताएँ/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ अभिव्यक्त की गईं। लोक सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों आदि को सुनकर अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई में कुल **122** व्यक्तियों द्वारा भाग लिया गया।

लोक सुनवाई में मुख्य रूप से निम्न चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ प्राप्त हुई हैं :–

- ☆ उधोग से निकलने वाली दूषित वायु एवं राखड़ से गांव वालों पर हानिकारक प्रभाव पडेगा । मुआवजा जमीन संबंधी लेन–देन की कोई जानकारी नही हैं । राखड़ के निकलने से आसपास के गांव प्रभावित होगें और राखड़ डेम गांव से दूर बनाया जाये ।
- ☆ पुर्नवास की व्यवस्था की जाये एवं 7 लाख रू. प्रति एकड मुआवजा दिया जाये, 1 लाख रू. पुर्नवास एवं हर खातेदार को नौकरी दी जाये ।
- ☆ उधोग स्थापित होने से आसपास के गांव में प्रदूषण फैलेगा ।
- ☆ योग्यतानुसार उघोग में नौकरी उपलब्ध करायी जाये ।
- ☆ सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाये ।
- ☆ चिकित्सा की सुविधा आसपास के ग्रामों में उपलब्ध करायी जाये ।
- ☆ सम्मिलित खातेदारों के खाता विभाजन के लिये आदेश दिया जाये ।

☆ उधोग से आस–पास के प्रभवित ग्रामों को निशुल्क विधुत प्रदाय किया जाये ।

☆ खात विभाजन के पश्चात् ही जमीन का अधिग्रहण किया जाये ।

श्री एल.के. किशोर, डायरेक्टर, मेसर्स एस.वी. पावर प्राईवेट लिमिटेड द्वारा प्राप्त चिंताओं/सुझाव/ विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों के संबंध में मौखिक रूप से जन समुदाय को अवगत कराया गया कि :–

☆ पावर प्लांट एवं कोल वाशरी से उत्पन्न सभी दूषित जल को उपचार उपरांत पुनः विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाया जाकर शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जावेगी।

☆ वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पावर प्लांट में उच्च दक्षता का इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसीपिटेटर की स्थापना किया जाकर वायु प्रदूषकों का उत्सर्जन शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किया जावेगा।

☆ कोल वाशरी, कोल हैन्डलिंग प्लांट, एश हैन्डलिंग प्लान्ट आदि में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम व्यवस्था की जावेगी।

☆ जल, वायु आदि प्रदूषण नियंत्रण हेतु निर्धारित मापदण्डों का पालन कड़ाई से किया जावेगा।

☆ राख का उपयोग भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14 सितंबर 1999 (यथा संशोधित) को जारी अधिसूचना अनुसार सुनिश्चित किया जावेगा।

☆ आवश्यकतानुसार प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु शासन द्वारा निर्धारित आर. एण्ड आर. पॉलिसी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

☆ भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही शासन के निर्देशानुसार शासन द्वारा तय मुआवजा राशि अनुसार की जावेगी। जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहित की जावेगी उन्हें शासन के नीति के अनुसार रोजगार पर रखा जावेगा। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ राज्य विशेषकर कोरबा क्षेत्र के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार पर रखा जावेगा।

☆ उद्योग परिसर के चारों तरफ सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

☆ आसपास के ग्रामों में कम्युनिटी वेलफेयर एवं इको डेव्हलपमेंट हेतु पृथक से प्रतिवर्ष बजट प्रावधान रखा जावेगा। आसपास स्थित सभी ग्रामों में ग्राम पंचायतों/ग्राम सभा/प्रशासन के निर्देशानुसार कम्युनिटी वेलफेयर एवं इको डेव्हलपमेन्ट की कार्यवाही की जावेगी।

उद्योग प्रतिनिधि द्वारा यह भी बताया गया कि प्राप्त चिंताओं/सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों पर समाधानकारक कार्यवाही करते हुए वर्तमान में बनाये गए प्रारूप ई.आई.ए. रिपोर्ट में समुचित परिवर्तन किया जाकर अंतिम ई.आई.ए. रिपोर्ट बनाकर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

आयोजित लोक सुनवाई के समस्त कार्यवाहियों की विडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी की गई।

लोक सुनवाई में लिखित में प्राप्त कुल **04** चिंताएँ/सुझाव/विचार /टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियाँ, लोक सुनवाई के दौरान **20** व्यक्तियों के द्वारा अभिव्यक्त चिंताओं/सुझाव/विचार/ टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियों का अभिलिखित पत्रक, लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों का उपस्थित पत्रक, विडियो फिल्म (असंपादित सी.डी.) एवं फोटोग्राफ्स संलग्न कर लोक सुनवाई कार्यवाही संलग्न कर विवरण सदस्य सचिव, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, रायपुर की ओर आगामी कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया जा रहा है।

सही/–

अधीक्षण अभियंता एवं
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल
कोरबा (छ.ग.)

सही/–

अपर कलेक्टर,
कोरबा
जिला–कोरबा (छ.ग.)